न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 61/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नजीर अली के कायम मुकाम 1/1 मुराद अली पुत्र 1/2 हमीदा बानो पत्नि 1/3 नसीम बानो पुत्री 1/4 रूकसाना बानों पुत्री 2. फुल मोहम्मद के कायम मुकाम 2/1 अनीसा बानो पत्नि 2/2 हीना बानो पुत्र 2/3 मेहबूब अली पुत्र लालजी सभी जातियान मुसलमान निवासी– हाल अलीपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।		1 भँवरू के कायम मुकाम:– 1/1 नाथूराम पुत्र भंवर के का0मु0 1/1/1 मुकेश पुत्र 1/1/2 महेन्द्र पुत्र 1/1/3 पप्पूडी पत्नि 1/2 अर्जुन पुत्र भंवरू 1/3 गणेश पुत्र भंवरू के का0मु0 1/3/1 काली देवी पत्नि 1/3/2 मन्जू पुत्री 1/3/3 मोनिका पुत्री 1/3/4 कंचन पुत्री 1/3/5 सोनीका पुत्री 1/4 मूलाराम पुत्र भंवरू 1/5 उगमाराम पुत्र भंवरू 1/6 भंवरीदेवी पत्नि भंवरू(नामविलोपित) 1/7 प्रतापी पुत्री जवाराजी 1/8 धापी पुत्री जवाराजी 1/9 बिरम पुत्री देवी के का0मु0 1/9/1 प्रभूराम पुत्र 1/9/2 सोपाल पुत्र 1/10 मिश्रीलाल पुत्र देवीजी सभी जातियान गुर्जन निवासी बाडिया सालिया, सुमेल तहसील रायपुर जिला पाली। 2. सरपंच ग्राम पंचायत सुमेल, 3. पटवारी हल्का सुमेल प्रफोर्मा पक्षकार:–– 4. इसाक अली पुत्र नजीर अली 5. मस्तानअली पुत्र नजीर अली 6. सलीम अली पुत्र फूल मोहम्मद 7. सदाम अली पुत्र फूल मोहम्मद जातियान–मुसलमान, निवासी–अलीपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2016 जो राजस्व अपील संख्या 07/2016 अनवान भंवर बनाम सरपंच वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के द्वारा पारित किया गया ।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थिति:–

1– श्री अनोपसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से की ओर से।
2– श्री ओंकार सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1/5, 1/7, 1/8 की ओर से
3. श्री बी.के. मेहर, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4, 6 की ओर से।
4– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12 –08–2022

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के द्वारा

अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामा0 संख्या 44 दिनांक 10.01.1996, नामा0 संख्या 713 दिनांक 30.03.1977, व नामा0 संख्या 707 दिनांक 30.03.1977 को चुनौती की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 707 एवं 713 को निरस्त करते हुए तहसीलदार रायपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि स्व. जवारा के विधिक वारिसानों की एवं नामा0 में अंकित बेचाननामें का विधिक जॉच कर नये सिरे से नामा0 की कार्यवाही करे एवं नामा0 संख्या 44 दिनांक 10.01.1996 किसके द्वारा स्वीकृत किया गया एवं मोहर का स्पष्ट अंकन नहीं होने होकर केवल हस्ताक्षर है, नाम व मोहर का अंकन नहीं होने से सम्बन्धित न्यायालय में चाराजोही करे। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

दौरान सुनवाई वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील में अंकित किये गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ख0सं0 953 रकबा 58.06 बीघा, ख0सं0 1032 रकबा 27.19 बीघा, ख0सं0 1031 रबा 87.05 बीघा, ख0सं0 954 रकबा 4.19 बीघा, ख0सं0 1179 रकबा 21.05 बीघा, ख0सं0 1180 रकबा 26.05 बीघा, ख0सं0 1181 रकबा 23 बीघा कृषि भूमि ग्राम सुमेल में आई हुई है। उक्त खसरान भूमि में पूर्व में खातेदार श्री जवारा थे। श्रीमती गंगा जवारा की पत्नि थी। श्री जवारा के देहान्त उपरान्त उनकी पत्नि गंगा के नाम फौतेदगी नामा0संख्या 707 स्वीकृत हुआ।

उक्त नामा0 के आधार पर श्रीमती गंगा ने अपने हिस्से की कुछ भूमि का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 02.02.1977 को कर दिया जिस पर मौके पर कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया जबसे भूमि के मालिक अपीलान्टगण है जिनके अन्य किसी का कोई हिस्सा/दखल नहीं है। उक्त बेचान के आधार पर नामा0 संख्या 713 दिनांक 30.03.1977 को स्वीकृत हुआ। नामा0 संख्या 44 जो कि ख0सं0 1244 की भूमि का भरा जाकर दर्ज किया गया है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में भरे गये नामा0 संख्या 707 एवं 713 को नियम विरूद्ध स्वीकृत किये जाने के आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तथा कथन किया कि अन्य खातेदारान के पिता का देहान्त होने के पश्चात अन्य खातेदारान से मिलीभगती कर नामा0 के उपर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर उसके स्थान पर श्रीमती गंगा का नाम दर्ज किया गया एवं अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के ख0सं0 4212 एवं अन्य खसरा भर दिये जो देखने में पढ नहीं सकते। उक्त गलत इन्द्राज करते हुए नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नामा0 संख्या 44 में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर गंगा का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि श्रीमती गंगा का भी दिनांक 12.03.1995 को हो गया है। इसके अलावा रेस्पो0 ने यह भी निवेदन किया फर्जी बेचान तैयार कर गलत पंजियन करा कर नामा0 संख्या 44 कूट रचित भरवा लिया एवं नामा0 संख्या 713 स्वीकृत करवा लिया, जो उनके हितों व अधिकारों के नियम विरूद्ध से नामा0 काबिल रहा है।

नामा0 को एक ही अपील के जरिये चुनौती दी है जो कानूनी रूप से नहीं की जा सकती है क्योंकि इनके विरूद्ध तीन अलग–अलग अपीलें करनी चाहिये थे जो नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय को ही अपील को दर्ज रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिये था जिसके बावजूद भी विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई जो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 707 एवं 713 को निरस्त करते हुए तहसीलदार रायपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि स्व. जवारा के विधिक वारिसानों की एवं नामा0 में अंकित बेचाननामें का विधिक जॉच कर नये सिरे से नामा0 की कार्यवाही करे एवं नामा0 संख्या 44 दिनांक 10.01.1996 किसके द्वारा स्वीकृत किया गया एवं मोहर का स्पष्ट अंकन नहीं होने होकर केवल हस्ताक्षर है, नाम व मोहर का अंकन नहीं होने से सम्बन्धित न्यायालय में चाराजोही करे। उक्त आदेश से क्षुब्ध होने से अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर की है जो स्वीकार होने योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उक्त प्रथम किसी भी नजरिये से स्वीकार होने योग्य नहीं थी। नामा0 संख्या 707 व 713 को निरस्त करवाने के लिये राजस्व वाद संख्या 73/1998 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 23.05.2002 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज हो गया, तथा दिनांक 13.03.2018 को बरामदगी होकर पुनः प्रस्तुत हुआ जो विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन होने के तथ्य को छुपाते हुए अपील प्रस्तुत की गई जिसका कोई कारण नहीं बताया। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई थी। जिसकी भी कोई माकूल वजह नहीं दर्शाई गई थी कि उनको अपीलाधीन नामा0 की जानकारी कब हुई और किस प्रकार से हुई, उक्त विलम्ब को काबिल माफ नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश में भी म्याद बिन्दू बाबत तनिक मात्र भी विवेचन हीं किया जो कि अपील स्वीकार करने से पूर्व उसके निस्तारण हेतु आवश्यक था। ऐसे मे यह कैसे मान लिया कि देरी माफ की जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार कर ली गई। वैसे भी नियमित वाद करने के उपरान्त नामा0 अपील करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। राजस्व वाद के विचाराधीन होने जैसे तथ्य को छुपाना रेस्पो0 की दुर्भावना व बदनियती को प्रकट करता है और अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है जिसके लिये रेस्पो0 दोषी है। वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त नामा0 अपील की लोकस स्टेण्डाई ही नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय की ओर से उक्त अपील को राजस्व लोक अदालत में ले जाकर उसका निस्तारण किया गया जो किसी भी स्तर पर न्याय संगत नहीं है। प्रथम अपील में वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश त्रुटिंपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

वरि० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश/निर्णय रेकर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकुल पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक अपील में तीन नामा0 संख्या क्रमशः 44, 707 व 713 की चुनौती पेश किये जाने पर एक ही आदेश के द्वारा निर्णित कर दिया है जो सर्वथा विधि

अदालत में निस्तारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 707 जो कि खातेदार जवारा के देहान्त उपरान्त उनकी वारिसान पत्नि श्रीमती गंगा के नाम स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई। और श्रीमती गंगा ने अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि दिनांक 02.02.1977 को अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के कर दी जिसके आधार पर नामा0 संख्या 713 स्वीकृत हुआ और अपीलान्ट राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हो गये। जिस बाबत किसी भी तत्समय से कोई आपत्ति नहीं की है। अपीलान्ट के पक्ष में श्रीमती गंगा के द्वारा निष्पादित किये गये पंजीकृत बेचान दस्तावेज को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, ऐसे में बेचान दस्तावेज प्रभाव में होने से अपीलाधीन नामा0 संख्या 713 को निरस्त किया जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का परिशीलन हीं नहीं किया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में वर्तमान अपीलान्टस को न तो पक्षकार बनाया और न ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अंकन अपीलान्ट/खातेदारान का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलान्टस के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारन को भी पक्षकार नहीं बनाया जिसके अभाव में प्रथम अपील मेन्टेबल हीं नहीं थी। इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अपील पत्रावली का गहनता से अवलोकन किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है जो अपाप्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट प्रभावित व व्यथित पक्षकार होने से उनके द्वारा यह अपील की गई हैं। श्रीमती गंगा के कोई पुत्र नहीं था, रेस्पो भंवरू गंगा का कोई गोदी पुत्र नहीं था। श्री भंवरू के द्वारा श्रीमती गंगा की सम्पति हडपने पर आमदा था, इसलिये उसने फर्जी तौर पर मिलावट कर नामा0 संख्या 1013 दर्ज करवा लिया जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। श्रीमती गंगा की शेष जमीन पर नामा0 संख्या 44 में नाम दर्ज किया और भंवरू का विलोपित कर दिया जिसके लिये अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता ही नहीं थी। भंवरू ने अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न की जब अपीलान्ट फूल मोहम्मद ने उसके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी थी।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजों के अनुसार अपीलाधीन आदेश Speaking Order की श्रेणी में नहीं होने एवं Arbitrary Pronounce व capricious होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न निर्णय नजीरे प्रस्तुत की यथा– 2019(2)आरआरटी पेज 1392, 2019(2)आरआरटी पेज 1125, 2019(1) आरआरटी पेज 648, 2019(2)आरआरटी पेज 1555, 2021(1)आरआरटी पेज 391

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0मु0 1/5 उगमाराम की ओर से उपस्थित

पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख0सं0 953 रकबा 58.11 बीघा, ख0सं0 1032 रकबा 27.19 बीघा कुल रकबा 86 बीघा 05 बिस्वा ग्राम सुमेल में आई हुई है जिसमें भंवरू पुत्र जवारा का 1/10 हिस्सा संयुक्त रूप से आया हुआ है तथा काबिज काश्त है जो जमाबन्दी में दर्ज अंकन से स्पष्ट है। ख0सं0 1244 के खातेदार झूमरदीन वगैराह है। झूमरदीन के फौत होने पर उनके पुत्रों के नाम नामा0 संख्या 44 स्वीकृत हुआ। पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कार्मिकों ने अन्य खातेदारो से मिलीभगत कर फौतेदगी नामा0 के स्वीकृत होने के बाद में उक्त नामा0 संख्या 44 के उपर यानि निर्धारित कॉलम के उपर अपीलार्थीगण का नाम दर्ज कर उसके स्थान पर उसकी मॉ श्रीमती गंगा का नाम दर्ज कर दिया जो बिना किसी आधार के बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही मनमाने तरीके से फौतेदगी नामा संख्या 44 की आड में रेस्पो0 /अपीलार्थीगण के पूर्वज भंवरू गोदपुत्र जवारा का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया।

रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0 मु0 1/5 उगमाराम के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इन आधारों पर ही रेस्पो0 की प्रथम अपील को स्वीकार किया है, जो कि विधि अनुकूल से बहाल रखे जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन नामा0 में हुई लिपिकीय त्रुटि को विधि विरूद्ध माना है। नामा0 संख्या 44 फौतेदगी नामा0 है जो कि झूमरदीन के फौत होने पर उनके पुत्रों के नाम ख0सं0 1244 अनुसार भर स्वीकृत करवाया था लेकिन तत0 पटवारी हल्का ने स्वींकृत नामा0 के उपर के कॉलम से बाहर जाकर वहॉ रेस्पो0/अपीलान्ट भंवरू के का0मु0 अपीलान्टस का नाम हटा कर "गंगा जीवित होने से भंवर का नाम हटाया" की लाईन जोडकर कूटरचना कर झूमरदीन के साथ अन्य खातेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से नामा0 की मूल लिखावट के साथ छेडछाड कर नामा0 स्वीकृती का गलत फायदा उठाते हुए जमीन हडपने की कोशिश की थी जिसकी माननीय न्यायालय के समक्ष अपील की थी जिस पर पारित किया गया आदेश उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। उक्त नामा0 कानूनी दृष्टि में शून्य होने से व गंग बेवा जवारा 1/10 वगैराह की हद तक अपास्त किया है तथा इस हद तक उक्त नामा0 से पूर्व की स्थिति को बहाल की जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया है, उससे वर्तमान अपीलान्ट नजीर अली के का0मु0 को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। जो सही है।

रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0 मु0 1/5 उगमाराम के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्राकृतिक न्याय के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय किया जो सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 713 व 707 के सम्बन्ध में न्याय आपके द्वारा लोक अदालत में दिनांक 27.5.16 को विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। जिसके विरूद्ध पेश अपील म्याद बाहर यानि 04 वर्ष पश्चात पेश की है जो काबिल खारिज के है। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 44 फौतेदगी नामा0 है जो झूमरदीन के देहान्त उपरान्त दिनांक 10.01.1996 को भरा गया था जिसके कॉलम निर्धारित है, फिर भी हल्का पटवारी

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

त्रुटिपूर्ण है जो प्रारम्भ से शून्य है, उसमें भंवरू का नाम बिना किसी आदेश के विलोपित करते हुए गंगा का नाम दायर किया गया है, उस पर स्वीकृतिकर्ता के नाम मोहर का अंकन नहीं है जो विधि सम्मत नही होने से उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है, उसके विरूद्ध प्रस्तुत यह द्वितीय राजस्व अपील म्याद बाहर से खारिज काबिल के है।

नामा0 विनिमय सम्बन्धी मामलों में, बेचान, विभाजन, कोर्ट के आदेश, डिक्री की पालना में, हकतर्क के मामले में, रहन, हिब्बे बख्शीश के मामलों में, हिस्से, सरेण्डर, अबन्डनमेंअट, समर्पण, परित्याग अवसान के सम्बन्ध में, तकावी ऋण के सम्बन्ध में, जब्ती के सम्बन्ध में, गोदनामें के सम्बन्ध में, फकूल, रहन के सम्बन्ध में, अनुपस्थित व्यक्तियों के बारे में नियम 138 लैण्ड रिकार्डस रूल्स तथा बिना उत्तराधिकारी के मरने की स्थिति में नियम 139, आवंटन के मामले में नामा0 में तस्दीक किया जाता है। हस्तगण प्रकरण में जो नामा0 हुआ है उसमें भंवरू का नाम किसी आदेश के विलोपित करते हुए गंगा का नाम दायर किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। इसलिये उसे दुरूस्त करने बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत है।

रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0 मु0 1/5 उगमाराम के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि नामा0 संख्या 44 के भरे जाने के बाद गंगा को जीवित बताकर एक फर्जी बेचाननामा तैयार कर बेचाननामा के आधार पर व फौतेदगी के आधार पर नामा0 संख्या 707 व 713 भर दिया गया है जिसे खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। रेस्पो0 को उक्त नामा0 स्वीकृत करते समय सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। जवारा पुत्र भाणा के एकमात्र वारिसान गंगा बेवा जवारा का नाम दर्ज कर दिया जबकि जवारा पुत्र भाणा के वारिसान रेस्पो0 भी है जिसके बारे में ग्राम पंचायत/पटवारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। ऐसी सूरत में नामा0 संख्या 707 विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य ही था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजों की गहनता से जॉच कर मेरिट व गुणावगुण पर राजस्व लोक अदालत, 2016 में दोनों पक्षों की मजमें आम में पंचायत में बहस सुननने के उपरान्त आदेश पारित किया है। रेस्पो0 के वादग्रस्त भूमि पर मौके पर चले आ रहे कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है। अतः समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व आधारहीन होने से तथा 04 वर्ष बाद पेश होने से म्याद बाहर होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वरि० सम्भागीय आयुक्त. जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा जो प्रथम अपील पेश की गई थी वो अपील में वर्णित स्वीकृत नामान्तरकरण आदेशों के विरूद्ध स्वीकृत होने की तिथी से बहुत विलम्ब से लगभग 48 वर्षो के पश्चात पेश की गई थी, जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई थी। रेस्पोडेन्टस के द्वारा उपरोक्त नामा0 के स्वीकृत हो जाने की जानकारी कब और किस प्रकार से, किस माध्यम से हुई, इस सम्बन्ध में विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील के संलग्न रेस्पोडेन्टस की ओर से अलग से कोई म्याद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है और न ही पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया गया जिसके आधार पर अपील को अन्दर म्याद पेश किया हुआ माना जा सके।

वर्तमान अपील मे भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है, प्रार्थना पत्र मे जो Delay condone का कारण दर्शाया है, उसमे विश्वसनीयता व ठोस आधार प्रतीत नही होता है वरन् काल्पनिक बातो का सहारा लिया जाना दृष्टिगोचर होता है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

उक्त अपील मे नामांतरकरण की अपील की जाकर खातेदारी अधिकार खातेदारी अधिकार हेतु प्रयास किया गया है जो न्यायसंगत विधिक प्रकिया नही है । नामान्तकरण के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी सम्पति का अधिकार, स्वामित्व या हित सृजित नही होता है, यह केवल वित्तिय उदेश्य के लिए है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चाराजोही की जानी चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय मे नामांतरकरण अपील के जरिये उक्त अधिकार को चाहा जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है ।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी रेस्पो0 की अपील को गुणावगुण

विश्लेषण, अंकन नहीं किया गया है जबकि विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रत्येक दिवस का पर्याप्त कारण जानना आवश्यक होता है तत्पश्चात न्यायालय की संतुष्टि होने के उपरान्त ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा सकता है। ऐसी कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील की आदेशिका के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अपील दिनांक 17.7.2015 को दर्ज होने के उपरान्त दिनांक 18.4.16 को आगामी पेशी दिनांक 27.6.16 नियत की गई। तत्पश्चात नीचे की आदेशिका में सील अनुसार आगामी लोक अदालत कैम्प सुमेल पर दिनांक 27.5.16 निर्धारित कर दी गई जो भी संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्तमान के एक अपीलान्ट मुरादअली के अधिवक्ता का भी वकालतनामा संलग्न है जो दिनांक 11.4.2016 को पेश किया हुआ है जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर नहीं लिया गया है और न ही इस बाबत आदेशिका में कुछ अंकित किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया दूषित रही है।

यह भी पाया गया कि नामा0 संख्या 713 दिनांक 30.3.1977 गंगा बेवा जवारा से 1/5 हिस्सा नजीर अली द्वारा खरीद किये जाने पर स्वीकृत हुआ। नामा0 संख्या 707 दिनांक 30.3.1977 को एक अन्य नामा0 स्वीकृत हुआ जो अपीलान्ट से सम्बन्धित नहीं था। नामा0 संख्या 44 दिनांक 10.1.1996 भंवरू से नामान्तरकरण पुनः गंगा के नाम दर्ज हुआ। नामा0 संख्या 95 दिनांक 15.6.1962 को जवारा/भाणा फौत होने पर 1/5 हिस्सा गंगा/ जवारा के नाम स्वीकृत हुआ है। एक अन्य नामा0 संख्या 1037 में, जो कि भंवरू द्वारा गोदपुत्र बनकर जवारा की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से दर्ज करवाई गई है। जबकि श्रीमती गंगा तत्समय जीवित थी। अधीनस्थ न्यायालय में भंवरू बनाम नजीर अली राजस्व वाद संख्या 73/1998 भी पेश होकर वर्ष 2002 में अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज होना पाया गया है जिसका अपीलाधीन आदेश में कोई वर्णन नहीं है।

ऐसे में नामा0 संख्या 713 को चुनौती पेश किये जाने पर रेस्पोडेन्टस को नामा0 संख्या 713 में वर्णित खातेदारान को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो संस्थित नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन नामान्तरकरणों को एक साथ चुनौती देते हुए एक ही अपील प्रस्तुत की गई जो भू राजस्व अधिनियम के विपरित प्रस्तुत की गई है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक ही अपील में तीनों नामा0 के सम्बन्ध में अपना विवेचन करते हुए अपीलधीन आदेश के जरिये दो अलग–अलग नामा0 को निरस्त कर दिया गया एवं एक अन्य नामा0 के सम्बन्ध में चाराजोही करने हेतु आदेशित किया गया है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

श्रीमती गंगा की ओर से खसरा संख्या 953 के किये गये बेचान दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट भंवरू की साख भी डाली गई है। जिसके आधार नामा0 संख्या 1032 स्वीकृत हुआ है।

इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने/विश्लेषण करने, दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय की मूल अपील पत्रावली, आदेश का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर